

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  
भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(- राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर, 1975

शुद्धि-पत्र

का0ने0सं0 भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 11, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 19 दिसम्बर 1974 के पृष्ठ 2678 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या का0आ0 725(अ) में कृपया निम्नलिखित संशोधन कर लिए जाय :-

1. पहले पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति में 'संशोध' के स्थान पर 'संशोधन' पदा जाय ।
2. पहले पैराग्राफ की पांचवी पंक्ति में <sup>प्रवृत्त</sup> 'प्रवृत्त' के स्थान पर 'प्रवृत्त' पदा जाय ।
3. दूसरे पैराग्राफ की पहली पंक्ति में 'अन्तस्थापित' के स्थान पर 'अन्तःस्थापित' पदा जाय ।
4. दूसरे पैराग्राफ के भाग (क) की पहली पंक्ति में '।' के स्थान पर ',' पदा जाय ।
5. दूसरे पैराग्राफ के भाग (क) का अन्तिम पंक्ति में '।' के स्थान पर ';' पदा जाय ।
6. दूसरे पैराग्राफ के भाग (ख) की अन्तिम पंक्ति के अन्त में उद्धरण चिन्ह के बाद '।' को हटा दिया जाय ।

[ सं० 1118/का० सं० 42(14)/73-टी०पी०एल० ]  
हो।

( जो० पी० भारद्वाज )

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ।

78/75  
78/75